बाबूलाल जैन

बनाम

म.प्र. राज्य एवं अन्य

24 अप्रैल, 2007

[एस.बी. सिन्हा एंड मार्कंडेय काटजू, जेजे.]

सेवा कानून:

उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति-वेतन निर्धारण-राज्य सरकार के निर्देश कि एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण को नियुक्ति नहीं बल्कि पदस्थापन माना जाएगा - कर्मचारी का वेतन एफआर 22(डी) के अनुसार निर्धारित है- बाद में वेतन पुनः निर्धारित किया गया और अतिरिक्त भुगतान वसूलने का आदेश दिया गया - अभिनिर्धारित, कर्मचारी द्वारा धारित मूल पद उस पद पर पदोन्नति का चैनल प्रदान नहीं करता था जिस पद पर उसे प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था - सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए उसे उस पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था - जैसे, उसे उच्च वेतनमान पर नहीं रखा जा सकता था - एफआर 22 (डी) प्रतिनियुक्ति के मामले पर लागू नहीं होती - हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, विभाग ने

कर्मचारी से वसूली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया -मौलिक नियम-एफआर 22(डी)-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 142।

अपीलार्थी कलेक्ट्रेट में लेखाकार है और चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ था। 9.2.1999 को मध्य प्रदेश राज्य ने इस आशय का कार्यालय ज्ञापन जारी किया कि शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण को नियुक्ति नहीं बल्कि पदस्थापना माना जायेगा तथा उच्च पद पर नियुक्त होने पर वेतन म.प्र. की एफआर 22(डी) या 22(ए) सिविल सेवा सीसीए नियम के तहत निर्धारित नहीं किया जायेगा। परंतु उनके द्वारा निचले पद पर आहरित किये जा रहे वेतन पर किया जायेगा। 13.12.2000 को कलेक्टर ने शुद्धिपत्र द्वारा अपीलकर्ता की नियुक्ति के प्रस्ताव में "पदोन्नति" शब्द जोड़ा । उन्हें 31.12.2001 से चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था, जिस तारीख को उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की थी। इस बीच दिनांक 9.2.1999 के परिपत्र के आलोक में उनका वेतन दिनांक 26.12.2001 के आदेश द्वारा उनके मूल पद के वेतनमान में पुनःनिर्धारित किया गया था तथा उसे किये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली का निर्देश दिया गया। अपीलकर्ता ने उक्त आदेश को चुनौती दी और अंततः, उच्च न्यायालय ने उसकी रिट याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि चूंकि कर्मचारी को चुनाव पर्यवेक्षक का उच्च वेतनमान दिया गया था, जिस पद

पर उसे कानून के अनुसार पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए उनके वेतन के पुनःनिर्धारित के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी और ना ही वसूली को रद्द करने का सवाल था।

कर्मचारी द्वारा दायर अपील में, यह तर्क दिया गया कि एचसी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 9.2.1999 मौलिक नियम 22(डी) के अधिकार से बाहर था और एम.पी. सिविल सेवा (सीसीए) नियम; और वह, किसी भी स्थिति में उसके वेतन से वसूली नहीं हो सकती।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. अपीलकर्ता द्वारा धारित वास्तविक पद चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति का एक चैनल प्रदान नहीं करता है और, इस प्रकार, जिले के कलेक्टर, कानूनन, उसे चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त नहीं कर सकते थे और बाद में एक शुद्धिपत्र जारी किया कि उन्हें वहां पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार, सभी इरादों और आशयों के लिए, उन्हें केवल उस पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था। उच्च ज़िम्मेदारियों वाले पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के बाद, उनके पक्ष में कुछ भत्ता दिया जा सकता था, लेकिन उन्हें उच्च वेतनमान पर नहीं रखा जा सकता था। इसलिए, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश राज्य का वित्त विभाग इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी नहीं कर सकता था क्योंकि अंततः वित्तीय बोझ राज्य पर पड़ेगा।

नियमों का मौलिक नियम 22(डी) किसी पद पर नियमित पदोन्नति को संदर्भित करता है और प्रतिनियुक्ति के मामले पर लागू नहीं होता है।[पैरा 10, 11, 12 और 13] [519-बी-जी)

2. हालाँकि, इस प्रकृति के मामले में, कोई वसूली नहीं करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने उच्च दायित्वों का निर्वहन किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां उसने कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी करके उच्च वेतन प्राप्त किया हो। यदि कोई कोई गलती हुई हो तो वह कानून की ग़लतफ़हमी के कारण हुई। वह तब से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके पास से 22,000/- रुपये बरामद किये गये हैं। ऐसी वसूली बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए, की गई है। इस संबंध में योग्यता के आधार पर उनके मामले पर सरकार और यहां तक कि न्यायाधिकरण द्वारा भी विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी को 22,000/- का भुगतान करें और उसके सेवानिवृत्ति लाभ की गणना इस प्रकार करने का निर्देश दें जैसे कि वह पुन: निर्धारित समय पर केवल एक लेखाकार के रूप में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गया हो न कि चुनाव पर्यवेक्षक के वेतनमान पर। यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।[पैरा 14 और 17) (519-एच; 520-ए-बी; सी-डी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 2125

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ, डब्ल्यू.पी. 2032/2003 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.04.2005 के विरुद्घ।

अपीलकर्ता की ओर से परमजीत सिंह पटवालिया, अमनप्रीत सिंह रही, मंजीत सिंह, हरिकेश सिंह, टी.वी. जॉर्ज, सतीश कुमार और अश्वनी भारद्वाज।

जी.पी. सिंह, सुषमा सिंह, मनोहर सिंह बख्शी, देबासिस मिश्रा, नवीन शर्मा और बी.एस.बांठिया प्रत्यर्थीगण की और से।

न्यायालय का फैसला एस.बी. सिन्हा ज. द्वारा सुनाया गया।

2. इस अपील में जो प्रश्न मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 2032/2003 में पारित एक निर्णय और आदेश दिनांक 27.4.2005 से उत्पन्न हुआ है, वह एफआर 22(डी) म.प्र. का सिविल सेवा (सीसीए) नियम की व्याख्या पर केंद्रित है। अपीलार्थी लेखाकार के पद पर कार्यरत था। कथित तौर पर कलेक्टर जिला देवास (मध्यप्रदेश) द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भोपाल को सम्बोधित एक पत्र दिनांकित 25.07.1998 के अनुसार उन्हें चुनाव प्रर्यवेक्षक के पद पर कथित पदोन्नति के लिये निम्नलिखित शर्तो में सिफारिश की गई थी ;

" देवास जिले में पदस्थ चुनाव पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त हो चुके है। रिक्त पद की भर्ती के लिए श्री आर.बी. पुराणिक के नाम को कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 1374/एस्टाब/98 दिनांक 12.6.98 द्वारा चुनाव पर्यवेक्षक के

पद पर पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई थी। तत्पश्चात् श्री बाबूलाल जैन, लेखाकार ने अपने आवेदन दिनांक 25.7.98 द्वारा चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किये जाने की सहमति दी है।

इसके बाद संबंधित वरिष्ठता सूची में क्रमांक 4 पर होने के कारण श्री बाबूलाल जैन श्री पुराणिक से वरिष्ठ हैं और चुनाव संबंधी कार्यों में अनुभवी हैं।

उनकी एसीआर की फोटो कॉपी संलग्न है।

तदनन्तर सिफ़ारिश की जाती है कि श्री बाबूलाल जैन, लेखाकार को चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाए।

संलग्न:- एसीआर की फोटो कॉपी वर्ष 93-97

एसडी/-

कलेक्टर

जिला: देवास (म.प्र.)"

3. उक्त सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिए जाने पर, उन्हें 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में उक्त पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया गया।

4. बाद में उन्हें व्यक्तिगत वेतन के रूप में एक वेतन वृद्धि के साथ 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान पर रखा गया। हालाँकि, मध्य

प्रदेश सरकार ने उच्च कर्तव्यों और जिम्मेदारियों वाले पद पर नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के संबंध में 9.2.1999 को एक परिपत्र पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि;

"जब किसी भी सरकारी सेवक की नियुक्ति सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में उच्च पद पर की जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:

(i) सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में उच्च पद पर स्थानांतरण को नियुक्ति नहीं, बल्कि पोस्टिंग माना जाएगा।

(ii) उच्च पद पर नियुक्त होने पर संबंधित सरकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारण एफआर 22(डी) या 22(ए) के तहत तय नहीं किया जाएगा, बल्कि निचले पद पर उसके द्वारा लिए जाने वाले वेतन पर तय किया जाएगा।"

5. 13.12.2000 को या उसके आसपास, कलेक्टर ने शुद्धिपत्र के माध्यम से नियुक्ति के अपने प्रस्ताव में "अगले आदेश तक" शब्दों के बाद "पदोन्नति" शब्द जोड़ा;

"श्री बाबुलाल जैन, तत्कालीन सहायक ग्रेड-द्वितीय/ अब लेखाकार चुनाव पर्यवेक्षक, चुनाव शाखा, कलेक्ट्रेट, देवास (म.प्र.) के वेतन निर्धारण के समय उठाई गई आपत्ति दिनांक 24.10.2000 के

प्रकाश में आंशिक संशोधन कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 28.9.98/स्था./98 देवास दिनांक 28.9.98 के द्वारा उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी (म.प्र.) की मंजूरी पर चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, उसके बाद अगले आदेश तक "पदोन्नति" शब्द जोड़ा जाता है। शेष आदेश का कुछ हिस्सा हमेशा की तरह प्रभावी होगा।"

6. 1.1.2000 से उन्होंने 6625/- प्रति माह रुपये का वेतन प्राप्त करना शुरू कर दिया। दिनांक 5.10.2001 के एक आदेश द्वारा उन्हें 31.12.2001 से चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया। 26.12.2001 को या उसके आसपास, उनके वेतन को उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9.2.1999 के आलोक में दिनांक 01.01.2000 से 6000 रु. + 179 रु. व्यक्तिगत वेतन के रूप में तय करने का यह निर्देश दिया गया था तथा यह भी आदेश दिया गया था कि उनसे भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली की जाए। उसने 31.12.2001 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की।

7. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया।

8. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने उक्त आदेश दिनांकित 13.12.2001 के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भोपाल के

समक्ष दिनांक 22.12.2001 को एक अभ्यावेदन दायर किया था, न्यायाधिकरण ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 (बी) के मद्देनजर उक्त आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध दायर एक रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है;

> "उत्तर से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मूल पद सहायक ग्रेड-द्वितीय है, जो पर्यवेक्षक/सहायक अधीक्षक के समकक्ष है। याचिकाकर्ता को लेखाकार/चुनाव पर्यवेक्षक का वेतनमान दिया गया था, जिस पद पर वह वैधानिक रूप से पद्दोन्नत नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में वेतन पुनर्निर्धारण के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। याचिकाकर्ता स्वयं अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। ऐसे में वसूली रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता."

9. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मंजीत सिंह ने इस अपील के समर्थन में निम्नलिखित तर्क उठाए।

(i) दिनांक 9.2.1999 का कथित कार्यालय ज्ञापन नियमों के मौलिक नियम 22(डी) के दायरे से बाहर है, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ता को दी गई पदोन्नति और उसके परिणामस्वरूप उच्च वेतनमान पर उसके वेतन निर्धारण को उसके आधार पर रद्द करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता हैं।

(ii) किसी भी स्थिति में अपीलकर्ता के वेतन से कोई वसूली करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

म.प्र. सिविल सेवा (सीसीए) नियम का नियम 22(डी) इस प्रकार है:-"

(I) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां एक सरकार। किसी पद को वास्तविक अस्थायी या स्थानापन्न क्षमता में धारण करने पर उसे किसी अन्य पद पर वास्तविक अस्थायी या स्थानापन्न क्षमता में पदोन्नत या नियुक्त किया जाता है, जिसके कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ अधिक होती हैं। उच्च पद के समयमान में उसका प्रारंभिक वेतन काल्पनिक रूप से बढ़ाए गए वेतन से ऊपर के स्तर पर तय किया जाएगा। निचले पद के संबंध में उसके वेतन में उस स्तर पर एक वेतन वृद्धि होगी, जिस स्तर पर ऐसा वेतन अर्जित हुआ है।)"

10. अपीलकर्ता का मामला यह नहीं है कि सहायक ग्रेड- II का पद चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति का एक चैनल प्रदान करता है। अपीलकर्ता निर्विवाद रूप से कलक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारी था जिसे मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नियुक्त किया गया है। एक जिले के कलेक्टर के कई कार्य होते हैं; उनमें से एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपने जिले में चुनावों की देखरेख करना है। इसलिए, हालांकि वह अपीलकर्ता को चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर तैनात करने की सिफारिश कर सकता था, लेकिन

उनकी नियुक्ति या उस मामले में पदोन्नति का सवाल ही नहीं उठता था और न ही उठ सकता था। अपीलकर्ता ने यह नहीं दिखाया कि सहायक ग्रेड- II के पद से चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति का कोई चैनल मौजूद है।

11. इस प्रकार, सभी इरादों और आशयों के लिए, उन्हें केवल उस पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था। उच्च ज़िम्मेदारियों वाले पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के बाद, उनके पक्ष में कुछ भत्ता दिया जा सकता था, लेकिन उन्हें उच्च वेतनमान पर नहीं रखा जा सकता था।

12. पदोन्नति के किसी भी माध्यम के अभाव में, जिले का कलेक्टर, कानूनन, उसे चुनाव अधीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं कर सकता था और बाद में एक शुद्धिपत्र जारी किया कि उन्हें वहां पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी इस क्षेत्र में कार्यरत पदोन्नति के मौजूदा नियमों को भी हमारे ध्यान में नहीं लेकर आया है। यह ऐसा कोई मामला प्रतीत नहीं होता है कि जहां उक्त पद पर पदोन्नति के प्रश्न पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम के तहत विचार किया गया है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति ने सभी पात्र उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया हो। जबकि मौजूदा नियमों के अनुसार, नियंत्रण प्राधिकारी किसी कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर प्रतिनियुक्ति का निर्देश दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदोन्नति

देने के उद्देश्य से यह अनिवार्य था कि कलेक्टर इस क्षेत्र के संचालित वैधानिक नियमों का पालन करे।

13. इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जैसा कि यह बताने की कोशिश की गई थी कि मध्य प्रदेश राज्य का वित्त विभाग इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी नहीं कर सकता था क्योंकि अंततः वित्तीय बोझ राज्य पर पड़ेगा। नियमों के मौलिक नियम 22(डी) जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, एक पद पर नियमित पदोन्नति को संदर्भित करता है। यह इस प्रकृति की स्थिति पर विचार नहीं करता। एफआर 22(डी) प्रतिनियुक्ति के मामले पर लागू नहीं है। यह निश्चित रूप से वहां लागू नहीं होगा जहां पदोन्नति का कथित आदेश एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रभावी किया गया है और वह भी वैधानिक नियमों का पालन किए बिना। इसलिए हम इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते।

14. हालाँकि, हमारी राय है कि इस प्रकृति के मामले में, कोई वसूली नहीं करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने उच्च दायित्वों का निर्वहन किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां उसने कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी करके उच्च वेतन प्राप्त किया हो। गलती, यदि कोई होई है तो कानून की ग़लतफ़हमी के कारण हुई। वह कम से कम कुछ भत्तों का हकदार था। उनके वेतन, को पुनः निर्धारित इस आशय के उनके दावे पर

विचार नहीं किया गया है। वह तब से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके पास से 22,000/- रुपये की राशि बरामद की गई हैं। ऐसी वसूली बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए, की गई है। इस संबंध में योग्यता के आधार पर उनके मामले पर सरकार और यहां तक कि न्यायाधिकरण द्वारा भी विचार नहीं किया गया था।

15. न्यायाधिकरण ने अपने आदेश के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया। न्यायाधिकरण के संज्ञान में सही कानूनी स्थिति नहीं लाई गई।

16. उपरोक्त कारणों से, यह अपील आंशिक रूप से और उल्लिखित सीमा तक स्वीकार की जाती है।

17. इसलिए, हम प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी को 22000 रूपये का भुगतान करने के साथ यह भी निर्देश देते है कि उसके सेवानिवृत्ति लाभ की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे कि वह केवल पुन: निर्धारित वेतन पर एक लेखाकार के रूप में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गया हो, न कि चुनाव पर्यवेक्षक के वेतनमान पर। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बिना किसी खर्चे के यह निर्देश जारी करते हैं। ।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कृष्णस्वरूप चलाना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।